कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग प्रकोष्ट–भूमि संरक्षण
कार्यालय – भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज
E-Mail ID:- dscopalamu2019@gmail.com

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल एवं कृषक समूहों को 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4.00 लाख) अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर उसके सहायक कृषि यंत्र एवं कृषि प्रसंस्करण यंत्रों की स्थापना हेतू झारखण्ड स्टेट लावलीहुड प्रमोशन सोसाईटी द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल एवं कृषक समूह द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रीत की जाती है। उपकरणों की विवरणी लागत तथा अनुदान निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	कृषि उपकरण मशीन	औसत कुल लागत (लाख में)	अधिकतम अनुदान (लाख में)
1	2	3	4
1	Mini Tractor (12.0-22.50 PS max PTO) Approved model tested by FMTTI as in GoI letter) with standard Toll Kit, Seat, Hitch, hood, Drawbar Attechment, insurance, Registration, GPS Attachment etc. Mini Tractor Compatible Machine such as- Rotavator, 5-7 tyne/ Disc Harrow/Cultivator, Disc/MB Plough, seed cum ferti, Drill, Cage Wheel, Paddy/wheat thresher, Post harvest equipments + Mini Rece Mill, Rice Hauler, Flour Mill, Mill Dal Mill, Oil Expeller etc. (Tested by GoI Testing centres FMTTI or identified testing centre by GoI) Alternator 10-15 kw, Centrifugal Pumps with suction pipe etc. 5-8 kw compatible power source, 63mm HDPE pipe maximum upto 200 feet (BIS Certification).	5.00	4.00
2	Power Tiller (8.5-15.5 Max horse power ps) Approved model tested by FMTTI as in GoI letter) with standard Tool kit, Rotay, Seat Attechment, Battery in case of Self Start, Universal mountin Frame and Four(4) Row sefl propelled Reaper. Power Tiller compatible Miachines such as – Post harvest equipments – Mini Rice Mill, Rice Hauler, Flour Mill, Mini Dal Mill, Oil Expeller, wheat/paddy thresher. (Tested by GoI Testing centres FMTTI or identified testing centre by GoI). Alternator 10-15 kw, Centrifugal Pumps with suction pipe etc. 5-8 kw compatible power source, 63mm HDPE pipe maximum upto 200 feet (BIS Certification).	5.00	4.00

पात्रताः–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के कार्यान्वयन हेतू प्राधिकृत संस्था झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी, पलामू द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल एवं कृषक समूह जिसमें कम से कम 10–12 सदस्य हो।

2. झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, पलामू से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप महला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल एवं कृषक समूह की विवरणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अन्य संस्थाओं द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों जलछाजन समितियों के स्वयं सहायता समुहों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने पर विचार किया जाएगा।
3. मिनी ट्रैक्टर वैसे महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल एवं कृषक समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके सदस्यों में से कम से कम किसी एक सदस्य के पास ट्रैक्टर/वाहन (LMV) चालन का वैध लाइसेन्स होगा एवं समूह के पास खेती योग्य 10.00 (दस) एकड़ से अधिक भूमि धारिता होगी। भु–धारिता संबंधित प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी से निर्गत होना चाहिए।
4. जिला स्तरीय चयन कमिटी से अनुमोदित महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल एवं कृषक समहों के द्वारा कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतू कुल अनमानित लागत का 20 प्रतिशत अंशदान की राशि समूह के बैंक खाते में जमा होने के साक्ष्य भूमि संरक्षण कार्यालय को देने के उपरान्त समूह द्वारा अपनी इच्छानुसार मिनी ट्रैक्टर एवं उसके सहायक कृषि यंत्र एवं कृषि प्रसस्करण यंत्रों या पावर टीलर, रीपर उसके सहायक कृषि यंत्र एवं कृषि प्रसंस्करण यंत्रों का चयन कर भूमि संरक्षण कार्यालय को हस्तगत करायेंगे।
5. जिन महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल एवं कृषक समूहों को पूर्व में कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण बैंक स्थापना या अन्य किसी योजना केन्द्र प्रायोजित योजना या राज्य योजना के माध्यम से पावर टीलर/ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्र का लाभ प्रदान किया जा चुका है उनकी पात्रता इस योजना के लिए मान्य नहीं होगी।

आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवश्यक निर्देशः–

(1) आवेदन पत्र पर त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि का अनुशंसा अनिवार्य होगा।

(2) महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल द्वारा विहित आवेदन प्रपत्र में नियमानुसार सच्ची सूचना अंकीत कर जमा करेंगे।

(3) आवेदन पत्र के साथ पात्रता के कंडिका सं0 4 के संबंध में संलग्न करना आवेदन के साथ अनिवार्य होगा।

(4) ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि उपकरण हेतु किसी एक सदस्य का ट्रैक्टर/वाहन (LMV) चालन का वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल एवं कृषक समहों के पास कम से कम 10.00 (दस) एकड़ भूमि धारिता प्रमाण पत्र (अंचलाधिकारी से निर्गत) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(6) पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र एवं सभी अनुलग्नक सहित प्रोग्राम मैनेजर, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी, पलामू के कार्यालय में दिनांक 10.01.2021 के संध्या 5:00 बजे तक जमा किये जायेगे तथा प्रोग्राम मैनेजर, JSLPS पलामू द्वारा सूची बनाकर भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज को 15.01.2021 तक उपलब्ध करायेंगे।

(7) आवेदन पत्र भूमि संरक्षण कार्यालय, डालटनगंज एवं प्रोग्राम मैनेजर, JSLPS कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकता है।

विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यालय का पताः–कार्यालय भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज ।
पलामू समाहरणालय, **BLOCK - C** के उपरी तल्ला
फोन नं0–06562–230223

भूमि संरक्षण पदाधिकारी,
डालटनगंज।